इस प्रकार की कुछ सामान्य शिकायतें मिली हैं लेकिन कोई विशिष्ट मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समीक्षा होने तक अधिनियम में संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

1066. **श्री अजीत जोगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर के टेलीफ़ोन केन्द्रों की क्षमता में प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे प्राप्त कर लिए गए हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 8वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में टेलीफ़ोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विस्तार कार्यक्रम की योजना इस प्रकार है :—

	लाइन
(i) भोपाल	17000
(ii) इन्दौर	54000
(iii) जबलपुर	9000
(iv) ग्वालियर	9000
(v) रायपुर	9000
(vi) बिलासपुर	5000
(vii) उज्जैन	4900

(ख) लक्ष्यों को नीचे दिए अनुसार आंशिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है :—

क्र. स.	एक्सचेंज	7वीं योजना के दौरान विस्तार की योजना	7वीं योजना के दौरान प्राप्त लक्ष्य
		लाइन	लाइन
1.	भोपाल	19200	14200
2.	इन्दौर	30000	10000
3.	जबलपुर	7000	2000
4.	ग्वालियर	10200	5200
5.	रायपुर	7200	5200
6.	बिलासपुर	4800	4800
7.	उज्जैन	3000	3000